फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री गोपीलाल** विपक्षी :– **श्रीमती पेमबाई**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– **57/17**

जीसीएमएस नम्बर :– **2017/00004**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.01.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 9 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब टी.आई पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 9 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 8 का नाम पूर्व में तर्क किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस टी. आई सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी. आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होना बताकर सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 3321 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता संख्या 175 पर दर्ज आराजी नम्बर 3323 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहे हैं परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि विपक्षीगण को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के [illegible] विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर [illegible] में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को [illegible] क्षति होगी। चूंकि [illegible]तेदारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.02.10 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में दिनांक 06.06.2017 से विपक्षी संख्या 8 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 की खाता संख्या 174 पर दर्ज आराजी नम्बर 3321 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता संख्या 175 पर दर्ज आराजी नम्बर 3323 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested